कार्यवृत्त

मंगलवार, 24 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1944

(दिनांक : 14 जून, 2022)

खण्ड–63

अंक–1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत ''वन्दे मातरम्'' के साथ आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत गैरसैंण में बजट सत्र आहूत न किये जाने के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पहले प्रश्नकाल होने दें परन्तु विपक्ष के मा0 सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगी। इस पर मा0 सदस्य ने अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनाएं स्वीकार कर रही हैं। स्वीकृत सूचनाओं को निम्नलिखित मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया :–

1.	श्री सुमित हृदयेश,	अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लम्बे समय से कार्यरत पी0टी0ए शिक्षकों को न्यूनतम परिधि में लाये जाने तथा कटऑफ डेट के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**
2.	श्री प्रीतम सिंह पंवार,	तहसील कण्डीसौड़ जनपद टिहरी गढवाल में उप कोषागार का संचालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**
3.	श्री राम सिंह कैड़ा,	भीमताल विधान सभा क्षेत्र के किसानों की फसलों का बीमा कराने पर भी कास्तकारों को फसल खराब होने के बाद पूर्ण बीमा नहीं मिल पाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**
4.	श्री महेश जीना	राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवायल में अलट्रासाउंड मशीन न होने से व्याप्त असन्तोष की सूचना। **(श्री महेश जीना का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)**
5.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर,	जनपद देहरादून की विधानसभा जसपुर के अन्तर्गत शीसमबाड़ा में ट्रचिंग ग्राउण्ड को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**
6.	श्री भरत सिंह चौधरी,	जनपद रूद्रप्रयाग में स्वीकृत व अधूरे सैनिक स्कूल का निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**

7. श्री हरीश सिंह धामी, कोविड के दौरान वर्तमान तक अनाथ हुए सभी बच्चों को वर्तमान तक मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**

सचिव, विधान सभा ने घोषित किया कि :–

उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2022 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2022 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 मार्च, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2022 का चतुर्थ अधिनियम बन गया।

श्री हरीश सिंह धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने के संबंध में'' श्री जीवन चन्द्र द्विवेदी, पुत्र श्री दयाधर द्विवेदी, पूर्व ग्राम प्रधान, ग्राम–सैमली व पोस्ट–ऑफिस खीरी, जनपद–पिथौरागढ़ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 13 जून, 2022 की बैठक में दिनांक 14 जून, 2022 से 16 जून, 2022 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

जून, 2022

14 जून, 2022 (मंगलवार)	1.	अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना।
	2.	औपचारिक कार्य।
	3.	विधायी कार्य।
	4.	वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण। **(अपराह्न 04:00 बजे)**
15 जून, 2022 (बुधवार)	1.	आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।
	2.	विधायी कार्य।
16 जून, 2022 (बृहस्पतिवार)	1.	आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।
	2.	विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।
	3.	विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से मा0 सदस्य, मौ0 शहजाद, श्री तिलक राज बेहड़, श्री प्रीतम सिंह, श्रीमती ममता राकेश, श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, श्री विक्रम सिंह नेगी, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री विरेन्द्र कुमार एवं श्री सुमित हृदयेश एवं

श्री विक्रम सिंह नेगी की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रही हैं। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

जनपद हरिद्वार में युवा वर्ग के नशे की लत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य मौ0 शहजाद ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

विधान सभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक (पुलिस) के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री तिलक राज बेहड ने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट न हो कर विपक्ष के मा0 सदस्य तथा अन्य मा0 सदस्य वेल आ गये एवं जोर से अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान होने लगा।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित की।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता मे 03:00 बजे पुनः आरम्भ हुई।

मा0 सदस्य तिलक राज बेहड ने नियम 58 के अन्तर्गत अपनी सूचना के परिप्रेक्ष्य में ठोस कार्यवाही की मांग की।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज कथियान (भटाड़) में अपूर्ण भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये। मा0 शिक्षा मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

आर्थिक सर्वेक्षण कराये बिना राशन कार्ड सरेंडर किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती ममता राकेश, श्री भुवन चन्द्र कापड़ी, श्री विरेन्द्र कुमार, श्री आदेश सिंह चौहान, श्री विक्रम सिंह नेगी एवं श्री सुमित ह्रदयेश ने विचार व्यक्त किये। मा0 खाद्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जाख–डोबरा पुल से लम्बगांव मोटर मार्ग के डबल लाईन चौड़ीकरण एवं हॉटमिक्स कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विक्रम सिंह नेगी ने विचार व्यक्त किये। मा0 लोक निर्माण मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

04:00 बजे

मा0 वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022–2023 का आय–व्ययक प्रस्तुत किया।

प्रतियां वितरित की गई।

मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह, श्री भुवन चन्द्र कापडी, श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री विक्रम सिंह नेगी, श्री मनोज तिवारी एवं श्री सुमित ह्रदयेश द्वारा नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित

राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र आहूत न किये जाने विषयक सूचना पर विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचना जो राज्य में पिछले 19, 20 वर्षों से दुर्गम/अतिदुर्गम रा0प्रा0वि0 में कार्यरत डी0एल0एड0 प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को (स0अ0) के पदों पर कार्यरत औपबंधिक शिक्षा मित्रों के समान वेतन न दिये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री बृज भूषण गैरोला की सूचना जो डोईवाला विधान सभा के अन्तर्गत अठूरवाला में टिहरी बांध से विस्थापितों के लिये अठूरवाला कन्या विद्यालय का नाम सोना देवी कन्या विद्यालय सुनार गाँव अठूरवाला करने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 36 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

देहरादून :

दिनांक : 14 जून, 2022

मुकेश सिंघल,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

ऋतु खण्डूड़ी भूषण,
अध्यक्ष,
विधान सभा।